न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 05/2025

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

धनाराम पुत्र तेजाराम जाति कलबी निवासी चौधरियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. भीखाराम दत्तकपुत्र देदाराम
2. चेनाराम पुत्र तेजाराम
3. तुलछाराम पुत्र चिमनाराम जातियान कलबी निवासी चौधरियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
4. अचलाराम पुत्र छोगाराम
5. दुर्गाराम पुत्र छोगाराम
6. वजाराम पुत्र छोगाराम
7. सारोदेवी पत्नि छोगाराम
8. सूराराम पुत्र खुशालाराम
9. हीराराम पुत्र छोगाराम
10. चेलाराम पुत्र देरामाराम
11. चोथीदेवी पत्नि प्रहलादराम
12. मंगला पुत्र नेथी
13. लूम्बा पुत्र नेथी
14. गुणेशाराम पुत्र हाजाराम
15. थानाराम पुत्र हाजाराम
16. रतनाराम पुत्र तेजाराम जातियान कलबी निवासी इन्द्रनगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
17. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री दीपूसिंह सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक –08.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का **खेत तहसील** सिणधरी पटवार मण्डल दाखां ग्राम चौधरियों की ढाणी के खसरा संख्या 1944/1460 रकबा 3.5003 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

था ग्राम इन्द्रनगर के खसरा संख्या 1143 रकबा 0.4854 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1889/906 **र**कबा 1.2688 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7542 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। जिस खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां ग्राम चौधरियों की ढाणी के खसरा संख्या 1944/1460 रकबा 3.5003 हैक्टेयर तथा ग्राम इन्द्रनगर के खसरा संख्या 1143 रकबा 0.4854 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1889/906 रकबा 1.2688 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7542 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां ग्राम चौधरियों की ढाणी के खसरा संख्या 1944/1460 रकबा 3.5003 हैक्टेयर तथा ग्राम इन्द्रनगर के खसरा संख्या 1143 रकबा 0.4854 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1889/906 रकबा 1.2688 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7542 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां ग्राम चौधरियों की ढाणी के खसरा संख्या 1944/1460 रकबा 3.5003 हैक्टेयर तथा ग्राम इन्द्रनगर के खसरा संख्या 1143 रकबा 0.4854 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1889/906 रकबा 1.2688 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7542 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो व विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि खसरा संख्या 1944/1460 रकबा 3.5003 हैक्टेयर तथा ग्राम इन्द्रनगर के खसरा संख्या 1143 रकबा 0.4854 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1889/906 रकबा 1.2688 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7542 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल दाखां ग्राम चौधरियों की ढाणी के खसरा संख्या 1944/1460 रकबा 3.5003 हैक्टेयर तथा ग्राम इन्द्रनगर के खसरा संख्या 1143 रकबा 0.4854 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1889/906 रकबा 1.2688 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7542 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 08.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:34 IST
Reason: SelfAttested